न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 09/2018 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

मालीराम सैनी उचित मूल्य दूकानदार, मावण्डा आर.एस., तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।
रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—
1. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.12.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 15 जनवरी, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि:—

(1) अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार मावण्डा आर एस तहसील नीमकाथाना में पिछले 5–6 वर्षों से राशन सामग्री का वितरण करता आ रहा है। अपीलान्ट 60 वर्ष का व्यक्ति होकर अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभाते हुए राशन वितरण का कार्य करने के बावजूद भी झूठी शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2017 को निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र रेस्पोडेन्ट के द्वारा झूठी शिकायतों को आधार मानकर, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाव एवं दस्तावेजों पर गौर नहीं करके आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

(2) अपीलान्ट के विरूद्व सतर्कता समिति ग्राम पंचायत एवं आमजन राशनकार्ड धारियों की कोई शिकायत नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्व रंजिश रखने वाले 5–6 व्यक्तियों की झूठी शिकायत के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

(3) अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम में मेन्डेटरी प्रावधानों के विपरीत जाकर निरस्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट के दस्तावेजों को देखने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.06.2017 को निलम्बित किया गया था तथा कार्यालय के पत्रांक 35 व 59 दिनांक 14.06.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस

1.

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

जारी किया गया, जिसका जवाब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 07.07.2017 को बिन्दुवार प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद भी अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2017 को निरस्त किया गया है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार 90 दिन के अन्दर–अन्दर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र निरस्त/बहाल किये जाने बाबत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का खुल्लम–खुल्ला उल्लघंन करते हुए प्राधिकार पत्र निलम्बन करने की दिनांक से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

(4) रेस्पोडेन्ट ने अपने नोटिस दिनांक 14.06.2017 में अंकित किया है कि कैम्प में दिनांक 07.06.2017 को अपीलान्ट को बार बार दूरभाष से सम्पर्क किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। उक्त अनियमितता के बारे में निवेदन है कि अपीलान्ट दिनांक 07.06.2017 को किसी कार्य से रिश्तेदारी में गया हुआ था एवं प्रार्थी के मोबाईल की बैटरी चार्ज नहीं थी, इस कारण अपीलान्ट का मोबाईल बन्द हो गया। उक्त अनियमितता अपीलान्ट पर सारहीन प्रतीत होती है।

(5) अपीलान्ट पर दूसरी नियमितता राशन सामग्री वितरण न करने के सम्बन्ध में झूठी अंकित की गई है। अपीलान्ट के द्वारा जिस राशन कार्डधारी से पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाया जाता है, उसी समय राशन सामग्री दे दी जाती है। बिना पॉस की जांच किये ही अपीलान्ट पर झूठा आरोप लगाया गया है।

(6) अपीलान्ट पर शिकायतकर्ता श्रीराम सैनी राशन कार्ड नम्बर 0837 ने झूठी अनियमितता दर्ज करवाई है। उक्त राशन कार्डधारी ने समय समय पर गेहूं, केरोसीन और चीनी प्राप्त करना स्वीकार किया है। केवल मौखिक शिकायत है, जिसके सम्बन्ध में अन्य कोई साक्ष्य नहीं है।

(7) अपीलान्ट पर 15 राशन कार्ड धारियों को समय समय पर अलग अलग माह में राशन सामग्री नहीं दी जाने व गबन करने का आरोप लगाया गया है, जबकि कारण बताओ नोटिस के जवाब में पीछे 9 कार्डधारियों के द्वारा अपने हस्ताक्षर करके अंकित किया है कि अपीलान्ट से हमें समय समय पर माहवार राशन सामग्री प्राप्त होती रही है। हमारी अपीलान्ट से राशन सामग्री वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। शेष 6 राशन कार्डधारियों को भी राशन सामग्री का वितरण कर दिया गया था, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से उक्त 6 व्यक्ति द्वेष भावना रखने वाले हैं, जिन्होनें जानबूझकर राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं करवाया। पॉस मशीन में राशन सामग्री वितरण करने का आंकलन अंकित है। अपीलान्ट पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

कुल स्टॉक में से राशन सामग्री का कहीं अन्यत्र बेचान किया गया हो। स्टॉक वितरण में अन्तर पाया गया हो।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **26.12.2017** को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.06.2017 को निलम्बित किया गया था तथा कार्यालय के पत्रांक 35 व 59 दिनांक 14.06.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 07.07.2017 को बिन्दुवार प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद भी अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2017 को निरस्त फरमाया गया है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार 90 दिन के अन्दर–अन्दर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्राधिकार पत्र निलम्बन करने की दिनांक से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो नियमों के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **26.12.2017** निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :–

(1) जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक **12.06.2017** में मौके पर 15 राशनकार्डों की जांच में 16.30 क्विं. गेहूं तथा 18 लीटर केरोसीन का गबन होना अंकित किया है। जांच अधिकारी द्वारा 9 उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर करवाये गये हैं लेकिन अलग–अलग बयान दर्ज नहीं करवाये गये हैं। प्रवर्तन निरीक्षक ने जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है, उसके सम्बन्ध में स्वयं ने लिख कर उपस्थित जनों से हस्ताक्षर करवा लिए हैं, जबकि अलग–अलग उपभोक्ताओं के अलग–अलग बयान लिए जाने चाहिए थे।

जिला कलक्टर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक **14.06.2017** द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अपीलान्ट को स्पष्टीकरण देने हेतु दिनांक 07.07.2017 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.07.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में कोई विधि सम्मत निर्णय नहीं किया और लगभग 6 माह बाद दिनांक 26.12.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। विधि सम्मत प्रकरण का निस्तारण 90 दिन में किया जाना था।

(3) कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपीलार्थी ने दिनांक **07.07.2017** को जवाब आवेदन में अंकित किया है कि नोटिस में दर्शाये गये 15 व्यक्तियों को प्रार्थी द्वारा राशन सामग्री दे दी गई थी, लेकिन भीड़ अधिकता के कारण राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया। जिन 15 व्यक्तियों के राशनकार्डो पर राशन सामग्री नहीं देने का आरोप जांच अधिकारी ने लगाया है उनमें से 9 उपभोक्तओं ने जवाब आवेदन पर हस्ताक्षर कर राशन सामग्री प्राप्त होना अवगत करवाया है।

6. उपरोक्त पैरा संख्या 5 के विवेचन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण डीलर के स्टॉक सत्यापन में कोई कमी पाये जाने बाबत नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच के दौरान उपभोक्ताओं के बयान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न लेकर एक पृष्ठ पर स्वयं ने बयान लिखकर अन्तिम पृष्ठ पर कुछ उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में कोई विधि सम्मत निर्णय नहीं किया और लगभग 6 माह बाद दिनांक 26.12.2017 को अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गई है, जिसका रेस्पोडेन्ट ने कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। विधि सम्मत प्रकरण का निस्तारण 90 दिन में किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। संदर्भित 15 उपभोक्ताओं में से 9 उपभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री प्राप्त होने के बयान पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई टिप्पणी नही की है। अतः **जिला रसद अधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 26.12.2017 अपास्त** किया जाता हैं। प्रकरण जिला रसद अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पूरे प्रकरण की पुनः समीक्षा कर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांकः **15 जनवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner